निविदा नियम एवं शर्तेः–

01. निविदा प्रपत्र की बिक्री **अंतिम तिथिः 29.09.2020 को शाम 05:00 बजे** तक निर्धारित है।
02. निविदा दो लिफाफा (Technical & Financial) दो मोहरबंद लिफाफे में **अंतिम तिथि 30.09.2020 को दोपहर 03:00 बजे** तक निर्धारित है। (विवरण कंडिका 24 में है)
03. निविदा खोले जाने की तिथि जमा किये जाने वाले **अंतिम तिथि के एक घंटे उपरांत 30.09.2020 को शाम 04:00 बजे** निर्धारित है
04. सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के एक घंटा उपरांत खोला जायेगा, यदि किसी कारण से निविदाकर्ता निविदा खोले जाने के समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
05. निविदा केवल स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री के माध्यम से प्रेशित किये जाने पर निविदा स्वीकार किया जायेगा, एवं निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
06. निविदा की दर एक वर्ष 31 मार्च 2021 तक मान्य होगी। आवश्यकतानुसार निविदा की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है।
07. निविदाकर्ता का खाद्य विभाग में जीवित पंजीकृत होना अनिवार्य है।
08. निविदाकर्ता को GST (Goods & Service Tax) में पंजिकृत होना अनिवार्य है GST पंजियन की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
09. निविदाकर्ता को भोजन व्यवस्था/सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव हो।
10. निविदाकर्ता द्वारा समय पर गुणवत्ता पूर्ण भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए।
11. निविदाकर्ता के पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता हो। इस आशय से प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) टेण्डर के साथ संलग्न किये जायें।
12. निविदाकर्ता, एक फर्म, एक संस्था या एक कंपनी के रूप में निविदा में सम्मिलित हो सकता है, जिसमें जीएसटी नम्बर लिया जाना अनिवार्य होगा।
13. सफल निविदाकर्ता के अमानत राशि निविदा की वैद्य तिथि तक जिला स्वास्थ्य समिति जिला बेमेतरा के खाते में जमा रखी जायेगी, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज दर देयक नहीं होगा।
14. निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000/– रूपये अक्षरी (एक हजार रूपये मात्र) का डी.डी. (डीमाड ड्राफ्ट) जो की राश्ट्रकृत बैंक का हो एवं **"District Health Society Bemetara"** के नाम से देय होगा, अदा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे, जो की राशि वापसी देय नहीं होगा।
15. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ रूपये 20000.00 (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) का डी.डी. (डिमांड ड्राफ्ट) जो की राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं **"District Health Society Bemetara"** के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है। जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा एवं प्रस्ताव अमान्य किया जावेगा।
16. मापदण्ड के अनुसार भोजन व्यवस्था नहीं होने की दशा में प्राप्त सामाग्री/सुविधा स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा।
17. निविदा दर भारतीय मानक रूपये में अंकित किये जावे।
18. अपूर्ण एवं ओवररायटिंग की स्थिति में निविदा निरस्त किये जा सकेगा।
19. चयन प्रक्रिया L1 दर के आधार पर की जावेगी।
20. निविदाकर्ता व्यक्तिगत छत्तीसगढ़ के निवासी हो/निविदाकर्ता का कार्यालय जिला/राज्य मे स्थापित हो इस संबंध में अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
21. देयक का भुगतान संभावित अवधि में PFMS DBT के माध्यम से समस्त Tax कटौती के उपरांत किया जावेगा। भुगतान शासन से समय–समय पर प्राप्त निर्देश एवं आबंटन के अनुसार नियमानुसार किया जावेगा जो कि सफल निविदाकर्ता का मान्य होगा।
22. अनुबंध नवीनीकरण की दशा में अमानत (EMD) राशि आगामी वर्षो हेतु मान्य किया जावेगा।
23. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभवशील मानी जावेगी।

Scanned with CamScanner

24. परिशिष्ट– (अ एवं ब) तथा अन्य दस्तावेज तकनीकी लिफाफे पे संलग्न किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे पर तकनीकी बिड अंकित किया जावें एवं परिशिष्ट–(स) वित्तीय दर लिफाफे को अलग से संलग्न किया जाना अनिवार्य है, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में दिनांक 30.09.2020 को समय दोपहर 03:00 बजे जमा किया जाना अनिवार्य है। उचित परिष्ठि अनुसार निविदा आवेदन नहीं किये जाने पर निविदा आवेदन अमान्य किया जावेगा।

25. स्वीकृत दर पर आवश्कतानुसार कार्य सम्पादन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान/कंपनी की होगी तथा अनुपलब्धता/विलब्ध/असंतुष्ट की स्थिति में फर्म/संस्थान/कंपनी के विरूद्व कठोर कार्यवाही करते हुए अपात्र (Black Listed) घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

26. आपात स्थिति में न्यूनतम दर पर किसी भी फर्म/संस्था/कंपनी से कार्य लिया जा सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

27. निविदा खोलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।

28. निविदा शर्तों में परिर्वतन की स्थिति में विसंगति की स्थिति में एवं न्यायलयीन प्रकरण की स्थिति में निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति बेमेतरा के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner